

**Union Territory Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Union Territory Goods and Services Tax (Andaman and Nicobar Islands) Rules, 2017**

**Notification No. 5 /2017 – Union Territory Tax, dt. 30-06-2017**

In pursuance of sub-section (1) of section 22, read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, namely:-

**Rule 1: Short title and commencement**

- (1)** These rules may be called the Union Territory Goods and Services Tax (Andaman and Nicobar Island) Rules, 2017.
  - (2)** They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.
-

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम, 2017

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंडमान और निकोबार आईसलेंड्स) नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 5/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30.06.2017

केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

**नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 है।
  - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
-